

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-28/2017/1559/37-1-2017-2(26)/2016

लखनऊ:दिनांक: 28 जुलाई, 2017

संशोधन

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1492/37-1-2017-2(26)/2016, दिनांक 25 जुलाई, 2017 द्वारा निर्गत आदेश में त्रुटिवश "26 वर्ष की संतोषजनक सेवा" के स्थान पर "16 वर्ष की संतोषजनक सेवा" अंकित हो गयी है। अतः उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25 जुलाई, 2017 में अंकित "16 वर्ष की संतोषजनक सेवा" के स्थान पर "26 वर्ष की संतोषजनक" सेवा पढ़ा जाय।

2- उक्त कार्यालय आदेश संख्या-1492/37-1-2017-2(26)/2016, दिनांक 25 जुलाई, 2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-28/2017/1559(1)/37-1-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव।